

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 824/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-70-मा०सं०(04)/2002(टी०सी०)

दिनांक 28 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के अन्तर्गत विभिन्न तापीय परियोजनाओं पर पाली (शिफ्ट) में कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय को कार्यालय ज्ञाप संख्या 2243/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2007-70-मा०सं०(04)/2002 (टी०सी०) दिनांक 21.08.2007 द्वारा अनुमन्य पाली भत्ता की दर एवं कटौती/अतिरिक्त देय राशि की दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र०सं०	पद नाम	पाली भत्ता की दर	रात्रि पाली हेतु कटौती/अतिरिक्त देय राशि की दर
1.	2.	3.	4.
1.	अधिशासी अभियन्ता एवं उच्चतर पद	रु० 3375.00 प्रतिमाह	रु० 420.00 प्रति पाली
2.	सहायक अभियन्ता	रु० 2700.00 प्रतिमाह	रु० 335.00 प्रति पाली
3.	अवर अभि०/रसायनज्ञ(श्रेणी- I/ II)/ वरिष्ठ परिचालक (निःसंवर्गीय)	रु० 1575.00 प्रतिमाह	रु० 195.00 प्रति पाली
4.	तकनीशियन/यांत्रिक/रसायन कर्मचारी (वर्ग तृतीय)	रु० 1170.00 प्रतिमाह	रु० 150.00 प्रतिपाली
5.	हेल्पर, मेट, समकक्ष रसायन कर्मचारी (वर्ग चतुर्थ)	रु० 720.00 प्रतिमाह	रु० 90.00 प्रतिपाली

- उपरोक्त संशोधित दर पर पाली भत्ता उसी अवस्था में देय होगा, जब सम्बन्धित कार्मिक रात्रि पाली की समस्त निर्धारित ड्यूटियाँ देंगे। इनसे अनुपस्थिति की दशा में उक्त भत्ते में से स्तम्भ 4 में उल्लिखित दर से कटौती की जायेगी एवं जो कार्मिक अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त अनुपस्थित कार्मिक के स्थान पर ड्यूटी करेगा उसे स्तम्भ 4 में ही अंकित दर पर अतिरिक्त पाली भत्ता देय होगा।
- पाली भत्ते के अन्य नियम एवं शर्तें उक्त के सम्बन्ध में निर्गत पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।
- उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2011 से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


संख्या: 824 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
- निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क०प०उ०

3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/लेखा/ पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़) /पनकी(कानपुर)/लखनऊ।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 146 वीं बैठक, जो दिनांक 24.06.2011 को सम्पन्न हुई, के मद संख्या-37 के सन्दर्भ में।
6. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/ पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/ पनकी (कानपुर)।
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

(एम०डी० मिश्र)
अनुसचिव (मा०सं०-04)